महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) – द्वितीय का कार्यालय, मध्यप्रदेश
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)-II, Madhya Pradesh

सत्यमेव जयते

क्रमांक / पेंशन / डी.आर.एस.एस.ए. / बिहार–02 / 2019–20 दिनांकः– 25.04.2019

प्रति,

सभी जिला कोषालय अधिकारी

विषयः– षष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन / पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों / पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01.07.2018 के प्रभाव से 142 प्रतिशत के स्थान पर 148 प्रतिशत मंहगाई भत्ता / राहत की स्वीकृति के संबंध में।

संदर्भः– 1. कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार के पत्र क्रमांक SSA-Pen-09-127 दिनांक 18.03.2019

2. बिहार सरकार, वित्त विभाग शासन आदेश क्रमांक सं.–3ए–2–वे.पु.–(भत्ता)–08 / 2013–1530 / वि. दिनांक 11.02.2019

उपरोक्त विषय में लेख है कि कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार से प्राप्त विशेष मुद्रा प्राधिकार के द्वारा बिहार सरकार के शासन आदेशानुसार षष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुरूप अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन / पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों / पेंशनभोगियों / पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01.07.2018 के प्रभाव से 142 प्रतिशत के स्थान पर 148 प्रतिशत मंहगाई भत्ता / राहत की स्वीकृति के संबंध में आदेश की प्रति प्रेषित की जा रही है। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त विषयानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। उपरोक्त संदर्भित आदेशों की प्रति कार्यालय महालेखाकार मध्यप्रदेश की वेबसाइट **www.agmp.cag.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

लेखा अधिकारी / पेंशन

क्रमांक / पेंशन / डी.आर.एस.एस.ए. / बिहार–02 / 2019–20 दिनांकः–

प्रतिलिपिः–

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना–800001 के पत्र दिनांक 18.03.2019 के संबंध में सूचनार्थ।

–sd/–
लेखा अधिकारी / पेंशन

Address : Lekha Bhawan, Jhansi Road, Gwalior-474002
Phone : 0751-2323968
Fax : 0751-2432194

पता : लेखा भवन, झाँसी रोड, ग्वालियर – 474002
दूरभाष : 0751-2323968
फैक्स : 0751-2432194

SP-379386105

000186

Telephone-2223251
2225766, 2224812

Fax 0612-2225977
Gram : ACCOUNTS

महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), BIHAR, PATNA

No. SSA-Pen-09- 127
Date 18 /03/2019

To,

The

1	Principal Accountant General (A&E), Andhra Pradesh, Saifabad, Hyderabad	500004
2	Director of Audit & Pension Govt. of Arunachal Pradesh, Naharlagun	791110
3	Accountant General (A&E), Assam, Guwahati, Maidamgaon, Beltola, Guwahati	781029
4	Accountant General (A&E), Jharkhand, Ranchi	834002
5	Deputy Director of Accounts/P.L.I. Govt. Of Goa, Director of Accounts, pension Section, Panji, Goa	403101
6	Accountant General (A&E), Chhatisgrah, 12/27, Raman Mandir Ward, Bilaspur Road, Fafidih, Raipur	492009
7	Accountant General (A&E),, Gujarat, Ahmedabad Branch, Audit Bhawan, Navarangpura, Ahmedabad	380009
8	Accountant General (A&E), Harayana, Lekhabhawan, Plot No. 4&5, Sector-33-B, chandigrah	160047
9	Senior Deputy Accountant General (A&E), Himanchal Pradesh Gorton Castle Building, Shmila	171003
10	Pr. Accountant General (A&E), Jammu & Kashmir, Near Exhibition Ground , Srinagar	190009
11	Pr. Accountant General (A&E),Karnatka, residency Parm Road, Post Box No.5 Bangalore	560001
12	Accountant General (A&E), Kerla, Post Box No. 5607, M.G. Road, Thiruvananthapuram	695039
13	Accountant General (A&E), Madhya Pradesh , Lekha Bhawan, Jhansi Road, Gwalior	474002
14	Pr, Accountant General (A&E), Maharashtra , 2nd Floor, Pratishtha Bhawan, New Marine Lines, Maharshi Karv, Mubai	400020
15	Accountant General (A&E), Maharashtra, West High Court Road, Civil Line. Nagpur	440001
16	Sr. Deputy Accountant General (A&E), Manipur, Imphal	795001
17	Accountant General (A&E), Meghlalya, Shilong	793001
18	Accountant General (A&E), Mizoram, Shri Bualhranga Buildignh, Dinthar, Aizawl	796001
19	Sr. Deputy Accountant General (A&E), Nagaland Kohima	797001
20	Accountant General (A&E), Orissa, Bhuneshwar	751001
21	Accountant General (A&E), Punjab & Union Territory of Chandigrah, Sector- 17E, Chandigarh	160017
22	Pr. Accountant General (A&E), Rajasthan, Bhawagan Das Road, Jaipur	302005

महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार
पंजीकृत डाक
02 APR 2019

DA-2
4.4.19

Telephone-2223251
2225766, 2224812

Fax – 0612-2225977
Gram : ACCOUNTS

23	Sr. Deputy Accountant General (A&E), Sikkim, Lekha Pariksha Bhawan, Deoria, PO- Tadong, Gangtok	737102
24	Accountant General (A&E), Tamil Nadu, 361, Anna Salai, Teynampet, Chennai	600018
25	Sr. Deputy Accountant General (A&E), Tripura, PO- Kunjanban, Agartala	799006
26	Accountant General (A&E), Uttar Pradesh, 20, Sarojni Naidu, Marg, Allahabad	211001
27	Accountant General (A&E), Uttarakhand, Dehradun, Oberoy Motor Building, Saharanpur Road Majram, Dehradun	248171
28	Pr. Accountant General (A&E), West Bengal, Treasury Building, No.-2, Govt. Place (West), Kolkata	700001
29	Director of Accounts and Treasuries, Govt. of Pondicherry, Pondicherry	605001
30	Controller of Accounts, Ministry of External Affairs, 3rd Floor, Akbar Bhawan, New Delhi	110007
31	Pay & Accounts Officer(V), Delhi Administration, TIS Hazari, New Delhi	110124
32	Chief Controller of Accounts, M/o External Affairs to the Indian Mission, Kathmandu, Akbar Bhawan, Chanakyapuri, New Delhi	110021

Subject: Grant of Dearness Relief/ Medical Allowance/ Revision of pension/ amendment of pension rules of state government pensioner.

Reference: 1. Government resolution No.- 3P-2-डे०पु०(भता)-08/2013-1530/वि० पटना, दिनांक 11.02
(Grant of Dearness Relief @ 148% w.e.f 01.07.2018)
2. Government resolution No- वि०-2A(पे०को०-69/2018-918 पटना, दिनांक 25.10.18

Sir,

I am to forward herewith Hindi/ English version of copy of Govt. of Bihar resolution mentioned above for your needful action. You are requested to circulate this order to all concern pensions disbursing authority under your jurisdiction for necessary action.

Please acknowledge the receipt of the same.

Enclosure: Resolution of Government of Bihar.

Yours faithfully

Sr. Accounts Officer
Bihar, Patna.

संख्या-3ए-2-वे०पु०-(भत्ता)-08/2013-....1530...../वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:-11/02/2019

विषयः- **षष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/ पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01/07/2018 के प्रभाव से 142 प्रतिशत के स्थान पर 148 प्रतिशत महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में।**

वित्त विभाग के संकल्प सं०-3251/वि० दिनांक-04/05/2018 के द्वारा षष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारियों/ पेंशनभोगियों/ पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्र के अनुरूप दिनांक 01/01/2018 के प्रभाव से 142 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

2. भारत सरकार वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं०- 1(3)/2008-E-II(B) दिनांक-11/09/2018 के द्वारा षष्टम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/भत्ते आहरित करनेवाले केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक 01/07/2018 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 142 प्रतिशत से बढ़ाकर 148 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है।

3. राज्य सरकार भी अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

4. उक्त के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया जाता है कि:-

(i) षष्ठम् केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01/07/2018 के प्रभाव से 142 प्रतिशत के स्थान पर 148 प्रतिशत महंगाई भत्ता की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(ii) अपुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त वेतन बैंड एवं ग्रेड-पे के योग के आधार पर महंगाई भत्ता आकलित किया जायेगा तथा इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जायेगा।

(iii) पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महंगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जायेगा।

(iv) महंगाई भत्ता की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

(v) उपर्युक्त महंगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जायेगा।

5. पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेंशनरों सहित उन पेंशन भोगियों को भी देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्द्धक्य पेंशन, सेवानिवृति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पाने वाले को भी यह राहत देय होगी।

6. कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जायेगा।

7. पेंशनभोगियों को इस महंगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालो के मामले में दिया जाता है। कोषागार पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें। बिहार राज्य के बाहर महंगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय।

8. उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों/ पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को अपुनरीक्षित वेतनमान में उक्त महंगाई भत्ता/राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद की स्वीकृति से देय होगा।

आदेश– **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।**

3/13/2

ह0/–
(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

ज्ञापांक:–3ए–2–वे०पु०(भत्ता)–08/2013– **1530/वि०** पटना, दिनांक:–**11/02/2019**

प्रतिलिपि:–महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय), वित्त विभाग ।

बिहार सरकार
वित्त विभाग

संकल्प

विषय :- केन्द्र सरकार के अनुरूप अविवाहित/परित्यक्ता/विधवा आश्रित पुत्रियों को 25 वर्ष की आयु सीमा के पश्चात पारिवारिक पेंशन की अनुमान्यता के संबंध में ।

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापांक 1/19/03-P&PW(E) दिनांक-30.08.2004 एवं 06.09.2007 तथा 1/13/09-P&PW(E), दिनांक-11.09.2013 के द्वारा केन्द्र सरकार के सेवानिवृत्त/मृत कर्मियों के अविवाहित/परित्यक्ता/विधवा आश्रित पुत्रियों को 25 वर्ष की आयु सीमा के पश्चात् भी विवाह/पुनर्विवाह/विहित न्यूनतम आय की शर्तों के अधीन बिना किसी उम्र सीमा के पारिवारिक पेंशन की सुविधा अनुमान्य की गयी है।

2. राज्य सरकार के सेवानिवृत्त/मृत कर्मियों के आश्रित पुत्र/पुत्रियों को 25 वर्ष की आयु अथवा विवाह/पुनर्विवाह जो भी पहले हो, तक पारिवारिक पेंशन की सुविधा उपलब्ध है। केन्द्र सरकार के अनुरूप अविवाहित/परित्यक्ता/विधवा आश्रित पुत्रियों को विहित शर्तों के अधीन बिना किसी उम्र सीमा के पारिवारिक पेंशन की सुविधा अनुमान्य करने हेतु अनेकानेक अभ्यावेदन सरकार को प्राप्त होने के कारण यह विषय सरकार के विचाराधीन था।

3. सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार के सेवानिवृत्त/मृत कर्मियों जो पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल थे, के आश्रित अविवाहित/परित्यक्ता/विधवा पुत्रियों को निम्न शर्तों के अधीन पारिवारिक पेंशन की सुविधा अनुमान्य की जाती है:-

(क) अविवाहित/परित्यक्ता/विधवा आश्रित पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन की सुविधा 25 वर्ष की आयु के पश्चात भी उनके विवाह/पुनर्विवाह अथवा मासिक आधार पर विहित न्यूनतम आय की प्राप्ति आरंभ करने तक अनुमान्य होगी। परिवार पेंशन हेतु अर्हकता/अनर्हकता के संदर्भ में विहित न्यूनतम आय का तात्पर्य तत्समय लागू न्यूनतम पारिवारिक पेंशन एवं महंगाई भत्ता के जोड़ से प्राप्त राशि से है। विवाह/पुनर्विवाह/न्यूनतम मासिक आय की उपलब्धता की स्थिति में पारिवारिक पेंशन की अर्हकता समाप्त हो जायेगी।

(ख) परित्यक्ता पुत्रियों को उनके पति से प्राप्त गुजारा/जीवन निर्वाह की राशि की गणना उनकी आय के रूप में की जायेगी ।अर्थात् जीवन निर्वाह की राशि उपर्युक्त विहित न्यूनतम आय से अधिक होने की स्थिति में पारिवारिक पेंशन अनुमान्य नहीं होगा ।

...........2

30/01/8/1005

(ग) अविवाहित/परित्यक्ता/विधवा आश्रित पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन की सुविधा तभी देय होगी, जब 25 वर्ष तक की आयु के सभी संतान पारिवारिक पेंशन हेतु अयोग्य हो जाएँ तथा कोई दिव्यांग संतान न हो ।

(घ) अविवाहित/परित्यक्ता/विधवा आश्रित पुत्रियों को भी आयु क्रम में ही पारिवारिक पेंशन देय होगा तथा छोटी पुत्री तभी योग्य होगी जब बड़ी पुत्री इस हेतु अयोग्य हो जाए।

(ङ) पेंशन वितरण प्राधिकार छःमाही आधार पर आय/विवाह के संबंध में क्रमशः आय प्रमाण पत्र (प्रखंड स्तर से निर्गत) तथा प्रथम श्रेणी कार्यपालक दंडाधिकारी के समक्ष दायर शपथ पत्र पेंशनर से प्राप्त कर ही पेंशन भुगतान सुनिश्चित करेंगे।

(च) एतद् सम्बन्धी पूर्व में निर्गत राज्यादेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे ।

(छ) यह संकल्प आदेश निर्गत की तिथि से लागू होगा।

आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/-
(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय)

ज्ञापांक- वि0-27पे0को0-69/2018 — 918 पटना, दिनांक- 25.10.2018

प्रतिलिपिः-सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/महालेखाकार, बिहार/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी पेंशन प्रदायी बैंक को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राहुल सिंह)
सचिव (व्यय)।
25.10.18